

18
3

HP [1.10.67]
19/3/67 (R.O.)

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

(प्रारूप-2क)

(देखें नियम-4)

नामनिर्देशन-पत्र

लोक सभा के लिए निर्वाचन 34 संसदीय (भा. जा.)

नीचे भाग-I या भाग-II, इनमें से जो भी लागू न हो, उसे काट दें

भाग-I

(मान्यत प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किया जाना है)

मैं लोक सभा के निर्वाचन के लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्देश करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम

पिता/माता/पति का नाम

उसका डाक पता

उसका नाम

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग सं-..... में क्रम सं. पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम है जो

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग सं-..... में क्रम सं. पर प्रविष्ट है।

तारीख.....

(प्रस्थापक के हस्ताक्षर)

भाग-II

(मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े न किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)

हम घोषणा करते हैं कि लोक सभा के निर्वाचन के लिए ३४ लाइसेंस (३१.८१.)
संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम रविकाश - दीपेश

पिता/मुक्ता/पति का नाम विजय - दीपेश

उसका डाक पता २२५-विधानपोखर-हृनाम्बुद्धपाल-मोहनपा भाला-५५८

उसका नाम ३४ लाइसेंस (३१.८१.) (२०५-विधानपा भाला) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र*
(में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग सं०- ५९ में
क्रम सं० ६३२ पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपर्युक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में, जैसे कि नीचे उपदर्शित है, दर्ज है और हम इस नामनिर्देशन के नीचे प्रतीक स्वरूप अपने हस्ताक्षर करते हैं।

प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर :-

क्र० सं०	प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली संख्या			पूरा नाम	हस्ताक्षर	तरीख
1	2	3	4	5	6	7
2	२०५-मोहनपा	५८	३९३	आलोक कुमार राई	आलोक कुमार राई	१९.३.१५
3	"	५८	९०६	विजेश कुमार राई	विजेश कुमार राई	"
4	"	५८	४०९	विनोद कुमार गुर्जर	विनोद कुमार गुर्जर	"
5	"	५९	६९९	जगन्नाथ भट्ट - दीपेश	जगन्नाथ भट्ट	"
6	"	५९	५९	अलीमुहम्मद खान	अलीमुहम्मद खान	"
7	"	५८	२१९	श्रीना अली	श्रीना अली	"
8	"	५८	११३	मुकेश राई	मुकेश राई	"
9	"	५९	४४४	कामरामधान राई	कामरामधान राई	"
10	"	५९	९०६	वीर कुमार राई	वीर कुमार राई	"
11	"	५८	११०	रमेश अंबारी	रमेश अंबारी	"

कृप्या ध्यान दें: प्रस्थापक के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के दस निर्वाचक होने चाहिए।

अधिसूचना सं०-एस०ओ०५५८ (ई०) दिनांक ०९.०८.९६ द्वारा प्रतिस्थापित

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

भाग—III

मैं, भाग—I/भाग-II (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि :—

(क) मैंने 39 वर्ष की आयु पूरी कर ली है,
(नीचे ख (i) या ख (ii) में से जो लागू न हो उसे काट दें)

या

(ख) (i) मुझे इस निर्वाचन में दल द्वारा खड़ा किया गया है जो इस राज्य में
मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपर्युक्त दल के लिए आवक्षित प्रतीक मुझे आवंटित किया जाए।

या

(ii) मुझे इस निर्वाचन में दल द्वारा खड़ा किया गया है जो रजिस्ट्रीकृत
अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है/मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ। (जो लागू न हो उसे काट दें) और
मैंने जो प्रतीक चुने हैं वे अधिमान क्रम में (i) (ii) (iii)
है।

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर ३१ नं। (भाषा के नाम) में सही रूप
से लिखा गया है।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और वि वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने हेतु चुने जाने के लिए अर्हित हूँ
और निरहित भी नहीं हूँ।

*मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं ५१८९ जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो
राज्य के उस राज्य में के (क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित

**जाति/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे लोक सभा के लिए एक साथ निर्वाचन कराए जा रहे आम
निर्वाचन/उप-निर्वाचनों में दो से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में *** नामनिर्दिशित किया गया है और
न ही किया जाएगा।

तारीख 19. 3. 14

रामेश्वरन
(अभ्यर्थी का हस्ताक्षर)

जम्मू-कश्मीर, अंदमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्ष्द्वीप की दशा में “मैं
समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र” शब्दों को काट दें।

+ यदि लागू न हो तो इस कंडिका को काट दें।

** यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दें।

** लागू न होने वाले शब्दों को काट दें।

@ जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्ष्द्वीप की
दशा में लागू नहीं होगा।

“मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल” से अभिप्रेत है निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के अधीन निर्वाचन आयोग
द्वारा संबंध राज्य में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल।

लागू न होने वाले शब्दों को काट दें

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

भाग-III (क)

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा)

क्या अभ्यर्थी को –

(I) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा-8 क की

(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए, या

हैं/ नहीं

८६

(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिश्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए

सिद्धदोष ठहराया गया है; या

(II) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्षों या उससे अधिक के कारावास से दंडित किया गया है।

यदि उत्तर “हैं” मे है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

(i) वाद/प्राथमिकी संख्या.....

(ii) थाना(थाने).....जिला(जिले).....

राज्य

(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा(धाराएँ) और उस/उन अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था।

(iv) सिद्धदोष ठहराए जाने की तारीख (तारीखें)

(v) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराने वाले न्यायालय.....

(vi) अधिरोपित दंड कारावास की अवधि और/या जुर्माने की रकम का उल्लेख करें.....

vii) कारावास से विमुक्ति की तारीख(तारीखें).....

(viii) क्या उपर्युक्त सिद्धदोष (सिद्धदोषों) के विरुद्ध कोई अपील/पुनरीक्षण आवेदन दायर की गई थी.....
हैं/ नहीं

(ix) दायर किए गए अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण—आवेदन(आवेदनों) की तारीख और विशिष्टियाँ.....

(x) उस न्यायालय(न्यायालयों) के नाम जिसके/जिनके समक्ष अपील/पुनरीक्षण —आवेदन दायर किए हैं.....

(xi) क्या उक्त अपील/पुनरीक्षण—आवेदन(आवेदनों) का निष्पादन हो गया है/अभी लांबित है.....

(xii) यदि उक्त अपील/पुनरीक्षण—आवेदन निष्पादित हो गए हो तो—?

(क) निष्पादन की तारीख(तारीखें):.....

(ख) पारित आदेश (आदेशों) का स्वरूप.....

स्थान: ८५३

राज्य विधान सभा

तारीख: १३.३.१५

(अभ्यर्थी का हस्ताक्षर)

भाग-IV

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाएगा)

नामनिर्देशन—पत्र का क्रमांक18
यह नामनिर्देशन—पत्र मुझे/मेरे कायालय में19.03.2014 (तारीख) को1.10 PM (बजे)
अभ्यर्थी/प्रस्थापक द्वारा परिदत्त किया गया।

तारीख19.03.2014

रिटर्निंग आफिसर

*लागु न होने वाले शब्दों को काट दें।

भाग- V

नामनिर्देशन—पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटर्निंग आफिसर का
विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन—पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर
लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ:-

तारीख.....

रिटर्निंग आफिसर